न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./4104/2005/बॉसवाडा

1– कमजी
2– रामा पिसरान लिमजी जाति भील निवासी डिफोर तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– जगला पुत्र खूमा जाति भील निवासी डिफोर तहसील बागीदौरा जिला
बांसवाडा
2– भूमिधारी तहसीलदार, बागीदौरा जिला बांसवाडा

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
डॉ. महेन्द्र लोढा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 10–07–2023

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प बांसवाडा द्वारा अपील संख्या–08/2004 बउनवानी जगला बनाम कमजी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/ अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ जिला बांसवाडा के न्यायालय में प्रतिवादीगण/ रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 209 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डिफोर में स्थित कुल किता

14 रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा मौके पर भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सयुक्त रूप से आधे– आधे भाग पर खेती करते आ रहे हैं। वादीगण अपनी भूमि को और उपजाऊ बनाने के हेतु वित्तीय संस्थाओं से लोन प्राप्त करता है और कर्ज अदायकी हेतु आराजी भूमि को विक्रय करता है, इस हेतु वादग्रस्त आराजी पर बंटवारा करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आराजी पर बंटवारा करवाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर अपने 2/3 हिस्से का कलेम किया तथा काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया एवं उक्त विवादग्रस्त आराजी के 2/3 भाग का खातेदार घोषित कराने की इस्तदुआ की। दावे जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा 2 तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपीबद्ध करने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर वादी का दावा अपने निर्णय दिनांक 18–09–2003 से डिक्री कर दिया तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प बांसवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–03–2005 द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया एवं वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी बाबत् आधा–आधा हिस्से की घोषणा एवं बंटवारे का दावा किया। जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 30 में आधा–आधा हिस्सा होना भी बताया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में वादीगण का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा होना और जमाबन्दी प्रदर्श–2 बताया। विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा दो तनकी बनाकर वादी का वाद डिक्री किया गया और दोनों पक्षों का आधा–आधा हिस्सा माना गया। प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की और सेटलमैन्ट की जमाबन्दी के आधार पर वादी का 1/3 और प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा होने के आदेश कर दिये। प्रतिवादीगण के दावे में कोई रिकार्ड आफ राईट नहीं था। सेटलमैन्ट के रिकार्ड से कोई अधिकार नहीं बनता है और कानूनी आपत्ति यह भी ली कि काउन्टर क्लेम किया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया, जिसकी कोई अपील नहीं की गयी

इसलिए दावा स्वतः ही डिक्री हो गया। दो अपीले करनी चाहिए थी, जो नहीं की गयी इसलिए उक्त निर्णय स्थिर रखे जाने येाग्य नहीं है।

5– रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं होने से बहस नहीं सुनी जा सकी।

6– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में वादी की साक्ष्य ने दोनों पक्षों की आधी आधी जमीन होना बताया है और प्रतिवादीगण की साक्ष्य में प्रतिवादी जगला का बडा खेत और कमजी का छोटा खेत होना बताया लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 38 की है, जिसमें कमजी पिता लिमजी और जगला पिता खूमा साकिन देह अंकित है और इसमें कोई हिस्सा नहीं है और इस जमाबन्दी में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 24–10–1977 मुकदमा नम्बर 65 के आधार पर नामान्तकरण संख्या–06 दिनांक 15–06–1989 को कमजी, रामा पिता लिमजी 1/2 जगला पिता खुमा भी 1/2 जोडा गया है। वैसे भी कालम संख्या–4 में कमजी व जगला दो ही नाम है उसका भी तात्पर्य यही है कि दोनों का बराबर हिस्सा है। हालांकि सेटलमैन्ट परगना अधिकारी, शेरगढ में निमजी वल्द नवला का 1/3 और खुमा वल्द पुजां का 2/3 हिस्सा दर्शाया गया है लेकिन इस सेटलमैन्ट पर्चे की पुश्त पर नवला ने यह बयान दिया है कि मेरा खेत अलग है इसलिए यह खेत खुमा वल्द पुंजा व निमजी वल्द नवला के नाम दर्ज कर दिया जावे। अर्थात् प्रदर्श–2 के अनुसार भी दोनों का आधा–आधा हिस्सा ही होता है और प्रदर्श–3 से स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का 2/3 हिस्सा मानने का आधार मात्र प्रदर्श–2 सेटलमैन्ट खतौनी माना है जबकि जमाबन्दी प्रदर्श–3 के अनुसार दोनों का आधा–आधा हिस्सा है और इससे पहले का कोई रिकार्ड दोनों ही पक्षों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित एवं विधिसम्मत् है और राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8– जहां तक काउन्टर क्लेम की पृथक से अपील करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आदेश 20 नियम 19 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मामले में काउन्टर क्लेम किया और निर्णय एक किया गया है तो उसकी एक ही अपील होगी और इस सम्बन्ध में मण्डल हाजा द्वारा अपील संख्या 10122/2004 बउनवानी बोयतराम बनाम बुंताराम में पारित निर्णय दिनांक 21–01–2022 में भी यह

तय किया जा चुका है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है।

9– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प बांसवाडा द्वारा अपील संख्या–08/2004 बउनवानी जगला बनाम कमजी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–03–2005 अपास्त किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ जिला बांसवाडा द्वारा वाद संख्या–155/2002 बउनवानी कमली बनाम जगला व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–09–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. महेन्द्र लोढा)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य